झारखण्ड सरकार

उपायुक्त सह जिला दण्डाधिकारी, दुमका, झारखण्ड

जिला आपदा प्रबंधन कोषांग, दुमका

आदेश संख्याः–.......10......../2018

प्रधान सचिव, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड सरकार रॉंची के पत्र संख्या 07/आ0 प्र0 (NDMA)–04/2013 (खण्ड)–76 (आ0)/आ0 प्र0 रॉंची दिनांक 24/01/2018 द्वारा गैर योजना मूख्य शीर्ष 2245 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2017–18 में जिलास्तर पर मॉंक अभ्यास के आयोजन हेतु उपायुक्त दुमका को राज्य आपदा मोचन निधि (S.D.R.F) से कुल 1,00,000.00 (एक लाख) रूपये मात्र का आवंटन प्राप्त है एवं राशि की निकासी हेतु स्वीकृति प्रदान की गई है।

(2) उक्त आवंटित राशि की निकासी निम्न वर्णित वजट शीर्ष के अन्तर्गत की जाएगी।

वचत शीर्ष	आवंटित राषि
मूख्य शीर्ष 2245–प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत, उप मूख्यशीर्ष–80–सामान्य, लघु शीर्ष –796–जनजातीय क्षेत्र उपयोजना, उप शीर्ष–19–राज्य/जिलास्तर पर मॉंक अभ्यास के आयोजन, विस्तृत शीर्ष–06–अनुदान,–79– सहायता अनुदान सामान्य (गैर वेतन), विपत्र कोड–39C224580796190679.	1,00,000/– (एक लाख) रूपये मात्र
कुल एक लाख रूपये मात्र	1,00,000.00

(3) कुल प्राप्त आवंटन 1,00,000.00 (एक लाख) रूपये मात्र को निम्नलिखित जिला नजारत उप–समाहर्त्ता, दुमका को निम्न प्रकार उपावंटित की जाती है।

क्र0 सं0	कार्यालय का नाम	उपावंटित राशि
1	जिला नजारत उप–समाहर्त्ता, दुमका	1,00,000.00
कुल एक लाख रूपये मात्र		1,00,000.00

(4) उक्त आवंटन राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, भारत सरकार के पत्रांक–02/158/SFC & SOP/Ops/2017, दिनांक–08/05/2017 के आलोक में वित्तीय वर्ष 2017–18 के द्वितीय अनुपूरक के मांग संख्या–39 में किये गये बजटीय उपबंध से प्रदान की जा रही है।

(5) संबन्धित पदाधिकारी अपने जिलान्तर्गत मॉंक अभ्यास का आयोजन जनवरी, 2018 से फरवरी 2018 के बीच अपने सुविधानुसार करायेंगे।

(6) निकासी एवं व्यायन पदाधिकारी द्वारा सम्बन्धित जिला कोषागार से राशि की विधिवत् निकासी की जायेगी।

(7) सभी भुगतान e-kyc/आधार लिंक्ड खाते में ही किया जाय।

(8) (i). संबंधित पदाधिकारी, मॉंक अभ्यास के आयोजन संबंधी सभी अभिलेख/ब्योरा तिथि सहित, फोटोयुक्त संधारित रखेंगे।
(ii) आयोजन स्थल में उपस्थित पदाधिकारी/कर्मी का नाम/पदनाम अभिलेख में संधारित करेंगे।
(iii) कुल–1,00,000/–(एक लाख) रूपये तक का भुगतान का सत्यापन संबंधित पदाधिकारी द्वारा संधारित होना चाहिए।

(9) किसी भी परिस्थिति में इस राशि का विचलन नहीं किया जायेगा। राशि की निकासी के तुरंत बाद विहित प्रपत्र में विवरण विभाग को समर्पित की जायेगी। राशि की निकासी नहीं होने की स्थिति में दिनांकः–20/03/2018 के पूर्व कारण दर्शाते हुए राशि का ऑन–लाईन प्रत्यार्पण करने का दायित्व निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का होगा।

(10) (i). गृह मंत्रालय (आपदा प्रबंधन प्रभाग), भारत सरकार के पत्रांक–38–11/2016–छक्ड, दिनांक–29/09/2016 में अंकित निदेश के तहत संबंधित पदाधिकारी द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र (GFR के तहत निर्धारित प्रपत्र में) समर्पित किया जायेगा।
(ii) स्वीकृत राशि की निकासी से संबंधित विपत्र पर पुख्य शीर्ष/उपमुख्यशीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष का उल्लेख स्पष्ट रूप से किया जाय अन्यथा लेखा ऑंकड़ो में वर्गीकरण त्रुटियों की जवाबदेही निकासी एंव व्ययन पदाधिकारी की होगी।
(iii) महालेखाकार से मासिक/त्रैमासिक एवं वार्षिक लेखा सत्यापन का दायित्व निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का होगा।
(iv) संबंधित पदाधिकारी , निकासी एवं व्यय पर नियंत्रण रखेंगे।

(11). निकासी एवं व्यायन पदाधिकारी को यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी होगी कि यदि ऐसी कोइ्र योजना का कार्य के विरूद्ध राशि व्याय की जा रही है, जिसे किसी दुसरे स्रोत से राशि मिल रही है या मिलने जा रही हो उस राशि की निकासी रोक कर इसके निराकरण हेतु अविलम्ब सूचना सम्बन्धित पदाधिकारी तथा विभाग को देंगे।

(12). (क) झारखण्ड कोषागार संहिता, 2016 के नियम 174 (पुराना नियम 300) का अनुपालन दृढ़तापूर्वक किया जायेगा। राशि कोषागार से निकलकर किसी भी परिस्थिति में बैंक खाते में नहीं रखा जाय।
(ख) वित्त विभागीय परिपत्र 2561, दिनांक 17/04/1998 पत्रांक–2522/वि0, दिनांक 24/10/2005 एवं वित्त विभागीय संकल्प संख्या–759 दिनांक 20/03/2015 का पालन अक्षरशः पालन किया जाय।
(ग) कोषागार संहिता/झारखण्ड वित्तीय नियमावली विभिन्न वित्त विभाग व्दारा निर्गत पत्रों का अनुपालन किया जायेगा।
(घ) स्रोत पर टैक्स कटौती के वित्त/वित्त (वाणिज्यकर)/आयकर अधिनियम इत्यादि की शर्त्तो का अनुपालन किया जायेगा।
(ङ) अभिलेखों को अंकेक्षण हेतु सुरक्षित रखा जायेगा।

(13) संबन्धित पदाधिकारी व्यक्तिगत रूप से मामले की सत्यता जाँच कर एवं पूर्णतः संतुष्ट होकर ही भुगतान करेंगे।

(14) प्रसंगाधीन स्वीकृयादेश की सभी शर्तो का पालन किया जाए।

विश्वासभाजन

ह0/
उपायुक्त,
दुमका

ज्ञापांकः–................................/आ0 प्र0 को0, दुमका दिनांक :–................/03/2018
प्रतिलिपीः– जिला नजारत उप–समाहर्त्ता, दुमका/कोषागार पदाधिकारी, दुमका को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हतु प्रेषित।

ह0/
उपायुक्त,
दुमका

ज्ञापांकः–................................/आ0 प्र0 को0, दुमका दिनांक :–................/03/2018
प्रतिलिपीः–आयुक्त, सन्ताल परगना प्रमण्डल, दुमका को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/
उपायुक्त,
दुमका

ज्ञापांकः–................................/आ0 प्र0 को0, दुमका दिनांक :–................/03/2018
प्रतिलिपीः– प्रधान सचिव, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, (आपदा प्रबंधन प्रभाग) रॉची, झारखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/
उपायुक्त,
दुमका

ज्ञापांकः–................................/आ0 प्र0 को0, दुमका दिनांक :–................/03/2018
प्रतिलिपीः– महालेखाकर रॉची, झारखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/
उपायुक्त,
दुमका

ज्ञापांकः–.........33................./आ0 प्र0 को0, दुमका दिनांक :–......7......../03/2018
प्रतिलिपीः– जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, दुमका को सूचनार्थ एवं इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि इस आदेश को दुमका जिले के वेवसाइट पर प्रकाशित करेंगे।

उपायुक्त,
दुमका